दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN पाँच रुपये पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

259 प्र.क. /2015 निगरानी / नि0 -443- II -16

श्री डी.एस. चौहान एड. द्वारा आज दि. 1/2/16 को प्रस्तुत
1-2-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

यमशंकर यादव पुत्र स्वर्गीय श्री काशीराम यादव निवासी– पथ्थर फैक्ट्री के सामने रजाखेडी मकरोनिया, जिला सागर (म.प्र.) ———————आवेदक

बनाम

1– शंकर उर्फ उमाशंकर पुत्र स्वर्गीय श्री बल्ले पटैल निवासी – इतवारी वार्ड, विजय टांकीज के पास, तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

2– रामकली पत्नि स्वर्गीय श्री काशीराम यादव

3– रामगोपाल पुत्र स्वर्गीय श्री काशीराम यादव

4– नारायण पुत्र स्वर्गीय श्री काशीराम यादव

5– सत्यनारायण पुत्र स्वर्गीय श्री काशीराम यादव

6– राजाराम यादव पुत्र बुद्दे यादव निवासीगण– पथ्थर फैक्ट्री के सामने रजाखेडी मकरोनिया, जिला सागर (म.प्र.)

7– जीवन अहिरवार पुत्र कल्लू अहिरवार निवासी – ग्राम जिन्दा, पोस्ट बरारू, तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

8– नीलेश राय पुत्र स्वं. श्री किसनलाल राय निवासी – ग्राम तलापार, पोस्ट तेवरा, तहसील खुरई जिला सागर (म.प्र.)

9– श्रीमती शशि राय पत्नि स्वं. श्री किसनलाल राय निवासी – ग्राम तलापार, पोस्ट तेवरा, तहसील खुरई जिला सागर (म.प्र.)

10– रामचरण रैकवार पुत्र दुर्गाप्रसाद रैकवार निवासी परसोत्तम नगर फेस–2 राजीव नगर, सेमरा पोस्ट अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.)

11– कैलाश चौबे पुत्र राजाराम चौबे निवासी ग्राम रजाखेडी, पंचायत भवन राहुल बलैया के पास, पोस्ट मकरोनिया, जिला सागर (म.प्र.)

12– श्रीमती उर्मिला तिवारी पत्नि गणेश प्रसाद तिवारी

डी. एस. चौहान
एडवोकेट
हाईकोर्ट म.प्र. ग्वा.

सागर (म.प्र.)

65– राजेन्द्र प्रसाद पुत्र काशीराम अग्निहोत्री निवासी– नया बाजार मोहाल न.4 दमोह तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

66– आर. के. टुटेजा पुत्र राजकुमार टुटेजा निवासी– सदर बाजार तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

67– ओमकार प्रसाद दुबे पुत्र लक्ष्मीप्रसाद दुबे निवासी– खेजरा बाग, तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

68– श्रीमती ज्योति साहू पत्नि अबधकिशोर साहू निवासी– विजय नगर सीबीएस स्कूल रजाखेडी तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

69– उमाशंकर ताम्रकार पुत्र बालमुकुन्द ताम्रकर निवासी– कचनैर कुँआ के पास इतवारा बाजार सागर, तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

70– श्रीमती रामदुलैया पत्नि रामभरोसे ठाकुर

71– श्रीमती जनक दुलारी पत्नि फेरन सिंह ठाकुर

निवासीगण – मुकाम शाहपुर, पोस्ट शाहपुर, जिला सागर (म.प्र.)

72– श्रीमती रेखा हजारी पत्नि ब्रजेश हजारी निवासी– बिध्यांचल बार्ड रहली तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

73– परसोत्तम राय पुत्र सलतान सिंह राय निवासी– दीपक मेमोरियल स्कूल के पीछे दूरसंचार नगर रजाखेडी मकरौनिया सागर तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

-------अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 (नये संशोधन अधिनियम–2011) विरूद्ध आदेश नायव तहसीलदार जिला सागर के प्र.क्र. 24/अ–27/14–15 में पारित आदेश दिनांक 13.1.2016 से परिवेदित होकर।

माननीय,

आवेदक का निगरानी आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 3

प्रकरण क्रमांक निगरानी-443-दो/2016 जिला सागर यमशंकर विरूद्ध शंकर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक व अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 24/अ-27/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 13-01-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-02-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि	

16.01.19

	लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 16-01.19 सदस्य	